छत्तीसगढ़ के लोकजीवन का जीवंत उत्सव पोला तिहार

आचार्य ललित मुनि
वरिष्ठ पत्रकार
एवं लोकसंस्कृति
के अध्येता

हमारी लोक संस्कृति के तीज-त्योहारों में मनुष्य और प्रकृति के बीच बने आत्मीय संबंधों की बेल भी गुंथी हुई दिखाई देती है। लोकपर्वों में कहीं वृक्षों की पूजा होती है, कहीं नदियों और जलस्रोतों की, कहीं अन्न की तो कहीं पशुधन की। छत्तीसगढ़ में भादो मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला पोला (पोरा) तिहार विशेष रूप से बैलों के सम्मान और कृषि जीवन के प्रति कृतज्ञता का पर्व है।

खेती के पुराने दौर को देखें तो बैल किसान के सबसे महत्वपूर्ण साथी रहे हैं। हल चलाने से लेकर खेत तैयार करने और अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक बैलों का उपयोग होता रहा है। इसीलिए किसान के लिए बैल केवल पशु नहीं, उसकी खेती और गृहस्थी के सदस्य रहे हैं।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'दो बैलों की कथा' याद आती है, जिसमें हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। खेती में जितना परिश्रम मनुष्य करता है, उतना ही परिश्रम बैल भी करते हैं। किसान और बैल अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार मिल-जुलकर खेती का काम पूरा करते हैं। यही कारण है कि पोला तिहार में किसान अपने इस सहयोगी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करता है।

पोला का संबंध केवल बैलों से नहीं, खेत में खड़ी धान की फसल से भी है। इस समय धान की बालियों में दूध भरने लगता है। स्थानीय बोली में इसे धान का पोटराना कहा जाता है। बालियों में दूध भरने और उनके विकसित होने की इस प्रक्रिया को ग्रामीण जीवन में गर्भ धारण करने के भाव से देखा गया है। इसी कारण पोला से जुड़ा एक नाम गर्भाही तिहार भी है।

किसान के लिए धान केवल अन्न पैदा करने वाला पौधा नहीं है। वह बेटी की तरह है, जिसके भीतर नया जीवन विकसित हो रहा है। जैसे गर्भ धारण करने वाली बेटी के लिए मायके से सधौरी भेजी जाती है, उसी तरह धान के पौधों में पोटराने पर किसान उसके प्रति अपना स्नेह प्रकट करता है। इसी भाव से पोला के दिन खेत में चीला चढ़ाने की परंपरा है। किसान घर में गेहूं अथवा चावल का चीला बनवाता है, पूजा की सामग्री लेकर खेत की मेड़ पर जाता है और पूजा-अर्चना कर चीला अर्पित करता है। कामना यही होती है कि फसल पुष्ट हो, उसमें रोग-दोष न लगे और खेत अनाज से भर जाए।

पोला की पूर्व रात्रि में जब गांव के अधिकांश लोग निद्रालीन होते हैं, तब गांव के गणमान्य किसान बैगा के साथ मिलकर ग्राम देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। गांव के भीतर और बाहर, खेत-खार में स्थित देवी-देवताओं के स्थानों पर होम-धूप और नारियल चढ़ाया जाता है। अच्छी फसल और रोगमुक्त खेती की कामना की जाती है। इससे पता चलता है कि खेती केवल खेत में बीज डाल देने का काम नहीं थी। खेत, पशुधन, ग्रामदेवता, किसान और प्रकृति सभी एक ही जीवन चक्र का हिस्सा थे।

पोला का एक सुंदर पक्ष बच्चों से जुड़ा है। तिहार के कुछ दिन पहले बाजारों में मिट्टी के नांदिया बैल और गृहस्थी के सामान बिकने लगते हैं। जांता, चूल्हा, हंडी, पोरा, कनौजी जैसे मिट्टी के सामान बच्चों को आकर्षित करते हैं। पूजा के लिए मिट्टी के बैलों का जोड़ा लाया जाता है। उनमें बांस की खपच्चियों से चक्के लगाए जाते हैं, राखी बांधकर श्रृंगार किया जाता है। फिर होम-धूप देकर चीला चढ़ाया जाता है।

पूजा के बाद लड़के नांदिया बैलों को चलाते हैं और लड़कियां मिट्टी के चूल्हा, चक्की, हंडी आदि से घर-गृहस्थी का खेल खेलती हैं। यह खेल देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर ग्रामीण जीवन की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। खेल-खेल में बच्चे खेती, पशुधन और गृहस्थी से जुड़े कामों को समझते हैं। इस तरह लोक परंपरा अगली पीढ़ी तक सहज रूप से पहुंचती रहती है।

पोला के दिन सुबह बैलों को नहलाया जाता है। उनके सींगों को रंग से पोता जाता है, देह पर रंग-बिरंगे छल्ले बनाए जाते हैं और खुर भी रंगे जाते हैं। पूजा-पाठ के बाद उनकी आरती उतारी जाती है। नौजवान अपनी बैल जोड़ी को घुंघरू और घंटी से सजाते हैं। जिस बैल के साथ किसान पूरे वर्ष खेत में मेहनत करता है, उसी को इस दिन सजा-संवारकर सम्मान दिया जाता है। पशु और मनुष्य के बीच संबंध का इससे सुंदर लोक रूप और क्या हो सकता है।

पोला के दिन घरों में तेलई चढ़ती है, पकवान बनते हैं, हित-मित को भोजन कराया जाता है और लोग एक-दूसरे के घर जाकर हाल-चाल जानते हैं। कई गांवों में बैलों की दौड़ भी आयोजित होती है। सजे हुए बैल जब मैदान में दौड़ते हैं तो चारों ओर उत्साह दिखाई देता है। जीतने वाली जोड़ी को पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। शाम को युवतियां सहेलियों के साथ गांव के बाहर मैदान या चौराहे पर जाती हैं। जहां साहडा देव का स्थान होता है, वहां मिट्टी के पोरा को ले जाकर पोरा पटकने की परंपरा भी कई स्थानों पर दिखाई देती है। इसके साथ ही आगामी तीजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।

उल्लास नवभारत साक्षरता पर विद्यार्थियों ने निकाली रैली

आरंग (रायपुर)। उल्लास नवभारत साक्षरता पखवाड़े एवं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर खमतराई में शासकीय हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से साक्षरता जागरूकता रैली निकाली।

विद्यार्थियों ने हाथों में साक्षरता संदेश लिखे पोस्टर लेकर ग्रामीणों को शिक्षा एवं साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक किया। रैली के माध्यम से गांव को पूर्ण साक्षर बनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर संकुल प्राचार्य टिकेश्वरी चंद्राकर एवं संकुल समन्वयक हरीश दीवान ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम एक नवाचारी पहल है, जिसके अंतर्गत पूरे गांव को पूर्ण साक्षर बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, रंग मंदिर के पास, गांधी चौक, छोटापारा,
रायपुर (छ.ग.) Pho, no. 0771-2535780,90,
Fax. 077172227395, E-mail- dc_rmc@rediffmail.com

E-272973 File No.: LAND/1523/2026

// आम सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नितिन गुप्ता पिता श्री विजय कुमार गुप्ता, निवासी- नेहरू नगर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा ग्राम आमासिवनी स्थित भूमि ख.क्र. 15011 कुल रकबा 0.9923 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय (भूखण्डीय) कालोनी में विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु कालोनी विकास अनुमति जारी की जा रही है। उक्त कालोनी में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों, समाज के निम्न आय वर्गों हेतु आरक्षित भूखण्डों एवं EWS के लिए आरक्षित भूखण्डों का विवरण आम लोगों की जानकारी हेतु दी जा रही है। जो निम्नानुसार है-

(अ) बंधक भूखण्डों का विवरण :-

क्र.	भूखण्ड क्रमांक	संख्या	रकबा प्रति बंधक भूखण्ड	रकबा कुल बंधक भूखण्ड
1	भूखण्ड क्र.- 7807A	01	333.13 Sqm.	333.13 Sqm.
2	भूखण्ड क्र.- 7807B	01	406.61 Sqm.	406.61 Sqm.
3	भूखण्ड क्र.- 7807C	01	396.58 Sqm.	396.58 Sqm.
	योग	03		**1136.32 Sqm.**

(ब) निम्न आय वर्गो (एल.आई.जी.) के लिए आरक्षित भूखण्डों का विवरण :-

क्र.	भूखण्ड क्रमांक	संख्या	रकबा प्रति LIG भूखण्ड	रकबा कुल LIG भूखण्ड
1	भूखण्ड क्र. 120	01	92.70 Sqm.	92.70 Sqm.
2	भूखण्ड क्र. 121	01	92.70 Sqm.	92.70 Sqm.
	योग	02		**185.40 Sqm.**

(स) E.W.S. के लिए आरक्षित भूखण्डों का विवरण :-

क्र.	भूखण्ड क्रमांक	संख्या	रकबा प्रति EWS भूखण्ड	रकबा कुल EWS भूखण्ड
1	भूखण्ड क्र. 01	01	36.00 Sqm.	36.00 Sqm.
2	भूखण्ड क्र. 02	01	36.00 Sqm.	36.00 Sqm.
	योग	02		**72.00 Sqm.**

उपरोक्तानुसार बंधक भूखण्डों को क्रय करने के पूर्व नगर निगम रायपुर द्वारा बंधक मुक्त किया गया है अथवा नहीं, इसके संबंध में कालोनाईजर से बंधक मुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करें तथा बंधक मुक्त नहीं होने की स्थिति में बंधक भूखण्डों को क्रय न किया जावें।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन 30 तक

दंतेवाड़ा। दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा योजना को भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है। पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राएं 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग, दंतेवाड़ा द्वारा बताया गया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

पेज 3 का शेष

सौगातों...

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर सृजित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन' को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

प्रेमिका...

बिलासपुर से बुलाए गए सीनियर ट्रैकर डॉग विमला से भी पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले।

बहन ने शव छिपाने में की मदद: घटना के बाद संतोषी सिंह ने शव छिपाने में बजरंग की मदद की। अगले दिन बजरंग का बड़ा भाई पप्पू सिंह काम से गांव लौटा। बजरंग ने उसे पूरी घटना बताई और सहयोग करने को कहा। इसके बाद दोनों ने मृतक के परिजनों के साथ अमित को तलाशने का नाटक किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए परिजनों के साथ थाना मुलमुला पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई।

मूलभूत...

इसके बाद छात्र-छात्राएं कॉलेज के सामने ही धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर जब वे प्राचार्य को अवगत कराते हैं तो उन्हें टीसी काटने की धमकी दी जाती है।

भगवान तिहार...

इस तरह मनाया जाता है भगवान तिहार: ग्राम चरौदा के धरम लाल चौहान ने बताया कि हमारे पूर्वज आदिकाल से इस अनुष्ठान को करते आ रहे हैं। सालभर में केवल एक बार भगवान तिहार का आयोजन होता है। गांव के हर घर से चंदा लेकर सामूहिक यज्ञ-पूजा की जाती है। गांव के भीतर बीच में एक निश्चित स्थान पर हर साल आयोजन होता है। एक जगह यज्ञकुंड तैयार किया जाता है। यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। हवन के दौरान फल, नारियल, दूध, धूप आदि का प्रयोग किया जाता है। किसी साल अगर गांव के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस साल यह आयोजन नहीं होता है।

सुशासन तिहार में कराया था ध्यानाकर्षण

नाली की मरम्मत न होने से सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा पानी

स्वदेश समाचार ■ आरंग (रायपुर)

जल उपभोक्ता संस्था टेकारी के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर आउटलेट से लगभग 80-90 एकड़ खेतों को सिंचाई पानी पहुंचाने वाले क्षतिग्रस्त क्रासिंग डीसी की बीते मई माह में आयोजित सुशासन तिहार में ध्यानाकर्षण के 114 दिनों बाद भी मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण इन खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, जबकि अब सामयिक सिंचाई पानी की दरकार है। किसानों के ध्यानाकर्षण पर संस्था के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र शर्मा ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान एक बार फिर इस ओर आकृष्ट करा अविलंब मरम्मत करवाने का आग्रह किया है। ज्ञातव्य हो कि महानदी जलाशय परियोजना के अंतर्गत महानदी सिंचाई मंडल व जल प्रबंध संभाग क्रमांक 1 के उपसंभाग क्रमांक 04 के अधीन पड़ता है यह संस्था। महानदी मुख्य नहर के 94 किलोमीटर के बाएं साइड के डायरेक्टर आउटलेट पर यह क्रासिंग डीसी से टेकारी के करीबन 80-90 एकड़ खेतों को सिंचाई पानी मिलता है।

मांग नहीं हुई पूरी

इसके क्षतिग्रस्त होने की ओर पूर्व में विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराने के बाद बीते 18 मई को ग्राम सिवनी में आयोजित सुशासन तिहार में श्री शर्मा ने आवेदन दे इस ओर ध्यानाकृष्ट कराया था। आवेदन में इसके साथ नहर प्रणाली में 3-4 स्थानों पर कुलापों की आवश्यकता होने के साथ-साथ पानी की बरबादी रोकने महानदी मुख्य नहर के समानांतर निकली नहर नाली के लाइनिंग की मांग भी की गई थी। बहरहाल इस आउटलेट से सिंचाई सुविधा पाने वाले किसानों की शिकायत पर श्री शर्मा ने अधीक्षण अभियंता एसएसके साहू, कार्यपालन अभियंता ललित रावटे व अनुविभागीय अधिकारी विनोद कुमार बहादुर को इसकी जानकारी दे अविलंब इस क्रासिंग डीसी की मरम्मत करवाने का आग्रह किया है।

निधन

देवादास मानिकपुरी

आरंग। ग्राम भानसोज निवासी ग्राम कोटवार 57 वर्षीय देवादास मानिकपुरी का निधन हो गया। वे सुंदरबाई मानिकपुरी के पुत्र, कल्याणी के पति व डेमन दास तथा खेमनदास के पिता थे। अंतिम संस्कार भानसोज स्थित मुक्तिधाम में मंगलवार को अपराह्न संपन्न हुआ।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना संख्या: टीआरएस-बीआईए-26-27-सीएएल-22

कार्य का नाम: इलेक्ट्रिक लोको शेड भिलाई में उपलब्ध विभिन्न मापक यंत्रों का 2 वर्षों के लिए कैलिब्रेशन। **कार्य की लागत:** ₹ 9,27,808.84 (₹ नौ लाख सत्ताइस हजार आठ सौ आठ और चौरासी पैसे मात्र)। **बोली सुरक्षा/ बयाना राशि:** ₹ 18,600/- (₹ अठारह हजार छह सौ मात्र)। **कार्य पूर्णता अवधि:** स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 24 (चौबीस) महीने।

निविदा समाप्ति की तिथि एवं समय: 29.09.2026 को 12:30 बजे। वेबसाइट विवरण और निविदा के विवरण यहां देखे जा सकते है: **http://www.ireps.gov.in**

वरि. मंडल विद्युत अभियंता(क.व.स्टा.)/
PR/R/TRS(BIA)/PCN/203 भिलाई
South East Central Railway @secrail

कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद (छ.ग.)

//सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक /7449/कले./भू-अर्जन/भू.क्र.नी./2026 बालोद दिनांक 07/09/2026

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत् कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग दुर्ग द्वारा अनुविभाग बालोद जिला बालोद अंतर्गत दुर्ग-दल्लीराजहरा रेल लाईन के रेलवे क्रासिंग क्र. डी.डी.-50 (पाररास) पर रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के लिये ग्राम बालोद, प.ह.नं.-06, रा.नि.मं.-बालोद, तहसील-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) के निम्नानुसार भू-धारक की भूमि की आवश्यकता होने से कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग दुर्ग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है:-

क्रं.	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.)
1	2	3	4	5
1	राजीमबाई पिता जौ. गोवर्धनलाल, जाति तेली	724/12	0.0200	0.0012
2	रायसिंह ठाकुर पिता भगवानी ठाकुर, जाति- हल्बा	724/14 724/13	0.0190 0.0220	0.00527 0.00957
3	निशा जैन पति नीलम जैन, जाति-जैन	724/25	0.0200	0.00675
4	रेवाराम पिता शोभाराम, जाति-हल्बा	724/11	0.0240	0.00728
5	पवन पिता छुमकुलाल,जाति-तेली	724/7 145/2	0.0160 0.0320	0.00307 0.00160
6	लोकनायक पिता छुमुकलाल जाति-तेली	724/6	0.0160	0.00181
7	राकेश राव पिता गजाधर राव, जाति-मराठा	724/10	0.0300	0.00123
8	राजेन्द्र कुमार पिता बल्लूराम	152/5	0.020	0.00075
9	आनंद पिता पा.पि.कृष्णप्रताप	152/7	0.020	0.00313
10	आनंदकुमार पिता कृष्णप्रताप, श्रीकांत पिता कृष्णप्रताप, श्वेता पिता कृष्णप्रताप, वीणादेवी बेवा पति कृष्णप्रताप, जाति-माहेश्वरी	152/8	0.020	0.00703
11	टुमन, राजेन्द्र, लक्ष्मी पिता नारायण, जाति-तेली	152/14	0.0130	0.00700
12	गिरवरचंद पिता चम्पालाल अन्य 08 हिस्से.	152/13	0.012	0.00300
13	कृष्णचन्द्र पिता सरदारीलाल, जाति-गुप्ता	144/14	0.006	0.00600
14	हरीशचन्द्र पिता सरदारीलाल, जाति-गुप्ता	144/12	0.008	0.00432
15	हरीशचन्द, त्रिलोकचन्द, कृष्णचंद्र, सरिता पिता सरदारीलाल, जाति-गुप्ता	144/1	0.033	0.00630
16	कंचन, पद्मा, शारदा, मंजुला पिता जीवनलाल, विमलचंद सुबोध, देवेंद्र, मिलाप, अनिल पिता जीवनलाल	152/4	0.0280	0.01670
17	अशोककुमार चन्द्राकर पिता पि. गयादीन चन्द्राकर,	144/8 145/3	0.015	0.00747
18	बेनीराम गुमानीकलाल पिता दुर्गाराम, बलराम पिता हल्लुराम, जाति-अन्य पिछड़ा वर्ग	144/3	0.0980	0.03901
	योग	29	0.472	0.12365

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो जारी दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे सक्षम लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

G-262703181/3

कलेक्टर
जिला-बालोद

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: 11वीं मंज़िल, टॉवरA, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 CIN नंबर: U67190MH2008PLC187552

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 ('एक्ट') की धारा 13 (2) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 ('रूल्स') के नियम 3 के तहत।

चूंकि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, जो एक्ट के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) के अधिकृत अधिकारी हैं और एक्ट की धारा 13 (12) और रूल्स के नियम 3 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, पहले ही नीचे दी गई तारीख को एक्ट की धारा 13(2) के तहत एक विस्तृत डिमांड नोटिस जारी कर चुके हैं। इसमें नीचे बताए गए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (जिन्हें अलग-अलग या एक साथ 'ऑब्लिगर' कहा गया है)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि से कहा गया है कि वे संबंधित डिमांड नोटिस में बताई गई रकम का भुगतान नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है। उक्त नोटिस की प्रतियां रजिस्टर्ड पोस्ट A.D. द्वारा भेजी गई है और नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। उक्त ऑब्लिगर/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कामकाजी दिन सामान्य ऑफिस समय के दौरान नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी से अपनी संबंधित प्रति ले सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऑब्लिगर/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे TCHFL को संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपने-अपने नाम के सामने बताई गई रकम का भुगतान करें। साथ ही, नीचे कॉलम (d) में बताई गई संबंधित तारीखों से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, नीचे बताए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त ब्याज का भी भुगतान करें। यह भुगतान लोन एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेजों/लिखतों (यदि कोई हों) के अनुसार किया जाना है, जिन्हें उक्त ऑब्लिगर ने निष्पादित किया है। लोन की सही समय पर अदायगी की सुरक्षा के तौर पर, संबंधित देनदार(दारों) ने TCHFL के पास नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को गिरवी रखा है।

लोन अकाउंट नंबर	देनदार/कानूनी वारिस/ कानूनी प्रतिनिधि का नाम	नीचे दी गई तारीखों पर कुल बकाया राशि (रुपए)	मांग की तारीख नोटिस और एनपीए की तारीख
TCHHF05730 00100475278, TCHIN05730 00100475473	श्री प्रेम सिंह (उधारकर्ता), श्रीमती सरबजीत, करण दीप सिंह (सह-उधारकर्ता)	रु.34,21,114/- और रु.2,83,387/-	02-09-2026 और 01-09-2026

सुरक्षित एसेट/अचल संपत्ति/गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण: आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा जिसका हाउस/प्लॉट नंबर Senior MIG-1075 है, जो मौज़ा टिटुरडीह, वार्ड नंबर 21, P.H. नंबर 15, R.N.M दुर्ग-01, आदित्य नगर, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र, तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (नगर पालिका निगम दुर्ग के अधिकार क्षेत्र में) में स्थित है। यह संपत्ति मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है और यह एक आवासीय/घर की संपत्ति है जिसका प्लॉट एरिया लगभग 135 वर्ग मीटर है। सीमाएँ: उत्तर: Senior MIG-1074, दक्षिण: Senior MIG-1076, पूर्व: L.I.G. प्लॉट, पश्चिम: सड़क।

"इसके साथ ही ऊपर बताए गए डिमांड नोटिस में बताई गई दर से अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक हुए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि भी शामिल होंगे। यदि उक्त देनदार (Obligor) TCHFL को बताए अनुसार भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो TCHFL उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उक्त सुरक्षित एसेट/अचल संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा; इसकी लागत और परिणामों का पूरा जोखिम उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का होगा।

उक्त अधिनियम के तहत उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को TCHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त सुरक्षित एसेट/अचल संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने की मनाही है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में मदद करता है, वह अधिनियम के तहत जेल की सजा और/या जुर्माने का भागी होगा।

तारीख: 10-09-2026, हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी
स्थान: छत्तीसगढ़ टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेडके लिए

न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील खोरपा जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार //

ग्राम खोरपा प.ह.नं. 09
रा.प्र.क्र.//अ-59 वर्ष 2025-26

छ.ग. का पत्र एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खोरपा जिला रायपुर क्रमांक / औप्रस/खोरपा / स्थाप/भू.भ./2025/271 खोरपा दिनांक 28.11.2025 के द्वारा ग्राम खोरपा प.ह.नं. 09 तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 1975 का भाग, 2214 का भाग, 2215 का भाग रकबा क्रमशः 0.84 हे., 2.25 हे., 0.35 हे. कुल खसरा नंबर 03 कुल रकबा 3.44 हे. भूमि को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खोरपा के संस्था भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन किये जाने हेतु पत्र माननीय कलेक्टर महोदय रायपुर के समक्ष पेश किया गया है जो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। तत्संबंध मे प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त भूमि आबंटित किये जाने पर जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को कोई दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 22/09/2026 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते है, नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से आज दिनांक 08/09/2026 को जारी किया गया।

जी-262703193/3 मुहर

नायब तहसीलदार
उप तहसील खोरपा

Public Works Department
Office of The Superintanding Engineer, Pwd
Raipur Circle No. - 1 Raipur (C.G.)

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
(2nd Call)

No. 17/Raipur/2026-27 Raipur, Dated 07.09.2026

Public Works Department (PWD) invites proposal for Planning, Design, Estimation and related services for the work.

वर्ष 2026-27 के विभागीय बजट में शामिल जिला रायपुर में स्थायी विवेकानंद जी के निवास स्थल (डे-भवन) को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने का कार्य हेतु वास्तुविद नियुक्त करने बाबत्।

Situated at Raipur
Probable cost of project Rs. 500.00 Lakh.
Minimum eligibility for participants shall be as below :-

S.N.	Building project cost	The applicant firms, firms forming Joint venture/consortium shall be	Earnest money (In shape as per annexure I) Favor of Executive Engineer, PWD Division No.-01 Raipur
1	For project cost Between 01 to 10 Crore	Empanelled as architect in Class "D" & Above Class in C.G. P.W.D.	Rs. 3,000=00

General condition:- All the documents & Information as per para 6.4, shall be submitted through speed post/Ragistered post, so as to reach the office of under signed on or before dated 22.09.2026 by 17.30 hour. Any documents received after the last date and time will not be entertained.

The detailed RFP is available on the website **www.cg.nic.in**/pwdraipur & **http://cgstate.gov.in/** from where it can be downloaded for submission. CG.PWD reserves the right to reject all or any of the application without assigning any reason. Right to modify the process of Pre-qualification is reserved with CG.PWD.

G-262703173/8

Superintending Engineer
Public Works Department
Raipur Circle No.-1 Raipur

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: छठी मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूएनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, चावला कॉम्प्लेक्स, साई नगर, रायपुर - 492001

ई-नीलामी-बिक्री सूचना
SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत
सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतदद्वारा आम जनता औ र विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार सुरक्षित लेनदार कहा गया है) के पास गिरवी रखी गई हैं, जिनका कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस के अनुसरण में ले लिया गया है। गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री जैसी है, जहां है, जैसी है वैसी ही और जो भी उपलब्ध है- के आधार पर 13-10-2026 को ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

स. क्र.	प्रस्ताव क्रमांक ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी)	स्वामित्व की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (1) (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात देनदारियां/अदालती मामले, यदि कोई हो (के)
1	लोन संख्या HF0023H20100195 शिव कुमारी बाई (ऋणकर्ता) भीष्म लाल मरकाम सह-उधारकर्ता	सूचना दिनांक: 09-10-2025 कुल देय राशि: 953666/- रुपये (नौ लाख तिरपन हजार छह सौ छैसठ रुपये मात्र) जो 09-10-2025 तक देय है, साथ ही वसूली तक 17.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है।	भौतिक	मौजा-खोपरा, वार्ड संख्या 14, पी.एच. संख्या 38, आर.एन.एम. पाटन, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (सी.जी.), नगर पंचायत की सीमाओं के अंतर्गत स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा और अंश, खसरा संख्या (भाग) 53, क्षेत्रफल 1174.48 वर्ग फुट 109.10 वर्ग मीटर (जिसे आगे विवादित संपत्ति कहा गया है)। सीमाएँ (पंजीकृत उपहार विलेख के अनुसार):- पूर्व में सी.सी. रोड; पश्चिम में मुरली और नारायण का घर; उत्तर में गली, दक्षिण में कुशल का घर। क्षेत्रफल: 1174.48 वर्ग फुट 109.10 वर्ग मीटर।	2086482.00 रुपये (बीस लाख छियासी हजार चार सौ बयासी रुपये मात्र)	208648.20 रुपये (दो लाख आठ हजार छह सौ अड़तालीस और बीस पैसे मात्र)	12-10-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	07-10-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	13-10-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी वाली संपत्तियों का दौरा करें, स्वयं जांच-पड़ताल करें और अतिरिक्त शुल्कों, भारों और किसी भी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाकर बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से संतुष्ट हो जाएं। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े किसी भी अन्य वैधानिक बकाया का पता लगाकर सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से पहले ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है, जो ई-बोली लगाने के लिए आवश्यक है। पता:प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124, 25, 26। ईमेल आईडी: id-Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति:धरनी पी। ईमेल आईडी: dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर: 9948182222। कृपया ध्यान दें कि इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल इन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना जमा (ईएमडी) की राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऑक्शन प्रोसीड्स ए/सी, बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या-091551000028 और आईएफएस कोड- ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर-411014 में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर 12-10-2026 या उससे पहले जमा करनी होगी और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा, जहां उन्हें मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ईमेल करनी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर भेजनी होंगी: प्रथम मंजिल, चावला कॉम्प्लेक्स, साई नगर, रायपुर - 492001 मोबाइल नंबर:+91 8281138143 ईमेल आईडी: p.adith@grihumhousing.com नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं और ई-नीलामी में भाग लें।

इस सूचना को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधक/गारंटर को 30 दिन (तीस) की सूचना भी माना जाना चाहिए।

किसी भी स्थिति में, यदि स्थानीय भाषा में प्रकाशित सामग्री और अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री में कोई अंतर हो, तो बॉइम्स टाइम्स में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र की सामग्री ही मान्य होगी।

दिनांक:10.09.2026 स्थान: दुर्ग (छ.ग.), हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड